

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-80

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

80. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बिजली की सुविधा से वंचित अनुमानित 18,452 गांवों में से 7,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रकाशित किए गए इन गलत आंकड़ों की जांच का कोई आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : संबंधित राज्य सरकारों/वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान 7,108 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	2015-16
1	अरुणाचल प्रदेश	174
2	असम	942
3	बिहार	1754
4	छत्तीसगढ़	405
5	हिमाचल प्रदेश	1
6	जम्मू व कश्मीर	27
7	झारखंड	750
8	मध्य प्रदेश	214
9	मणिपुर	75
10	मेघालय	1
11	मिजोरम	16
12	ओडिशा	1264
13	राजस्थान	163
14	त्रिपुरा	9
15	उत्तर प्रदेश	1305
16	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	7108

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-864

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

एल.ई.डी. बल्बों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जाने की योजना

864. श्री लाल सिंह वडोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार एल ई डी बल्ब उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर देने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां।

(ख) और (ग) : माननीय प्रधानमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 5 जनवरी, 2015 को 'सबके लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)', जिसे पहले घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) कहा जाता था, नामक राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसे विद्युत मंत्रालय के अधीन संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और स्थाई व्यापार मॉडल पर आधारित है जिसमें दक्ष प्रकाश व्यवस्था की लागत का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा उनके विद्युत बिलों के माध्यम से एक निर्धारित अवधि में ऊर्जा की बचत से किया जाता है। संपूर्ण अपफ्रंट निवेश, ईईएसएल द्वारा बिना किसी सरकारी बजट आबंटन के किया जाता है। ईईएसएल देश भर की मांग का संकलन करता है तथा आगे घरेलू उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से एलईडी बल्बों का प्रापण करता है, जिसके फलस्वरूप एलईडी बल्बों की कीमत सरकारी सब्सिडी के किसी घटक के बिना ही 310 रूपए प्रति बल्ब (7 वाट) (फरवरी, 2014) से घटकर 54.90 रूपए प्रति बल्ब (9 वाट) (मार्च, 2016) रह गई है। आज की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल द्वारा देशभर में 10 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्ब पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-865

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

अतिवृहद विद्युत संयंत्रों की प्रगति

865. श्री वी. पी. सिंह बदनौर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अति वृहद विद्युत संयंत्रों (यू.एम.पी.पी.) की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अति वृहद विद्युत संयंत्रों की भावी योजना क्या है तथा इनको स्थापित किए जाने में कौन-कौन सी अड़चनें हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : चार यूएमपीपी अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम तथा झारखंड में तिलैया पहले ही विकासकर्ताओं को अवाई एवं अंतरित किए जा चुके हैं। अवाई किए गए चार यूएमपीपी में से दो यूएमपीपी अर्थात् मुंद्रा यूएमपीपी एवं सासन यूएमपीपी प्रचालन में हैं। अवाई किए गए यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-1 में दी गई है।

मौजूदा एवं प्रस्तावित प्रत्येक यूएमपीपी की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। यूएमपीपी के लिए निधि की व्यवस्था परियोजना के विकासकर्ता द्वारा की जाती है जो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक बोली दस्तावेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्ग से चुना जाता है।

12 और यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-11 में दी गई है।

मेजबान राज्यों द्वारा स्थलों को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब, भूमि का अंतरण/अधिग्रहण, जल लिंकेज की उपलब्धता और उपयुक्त कोयला ब्लॉकों की पहचान करना कुछ यूएमपीपी की स्थापना से जुड़े कुछ मुद्दे हैं।

विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी/मामला-2 के संबंध में लागू मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) की जांच करने के लिए श्री प्रत्युश सिन्हा, भूतपूर्व सीवीसी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न पणधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अपनी सिफारिशें विद्युत मंत्रालय को सौंप दी है।

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	सासन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29 जनवरी, 2008 को अवार्ड तथा अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर कार्य रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	तिलैया गाँव के निकट, जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07.08.2009 को अवार्ड और अंतरित की गई। विकासकर्ता (झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि.) ने दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार की समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है।

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अन्य चिह्नित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थिति

क्रम सं.	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
ओडिशा			
1.	बेडाबहल, ओडिशा	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद नई बोली जारी की जाएगी।
2.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल चिह्नित किया गया है।
3.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल चिह्नित किया गया है।
छत्तीसगढ़			
4.	छत्तीसगढ़ यूएमपीपी	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 05.04.2016 एवं 05.10.2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य में अधिशेष विद्युत को देखते हुए वे इस यूएमपीपी की स्थापना के लिए इच्छुक नहीं हैं।
तमिलनाडु			
5.	चेय्यूर यूएमपीपी	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद नई बोली जारी की जाएगी।
6.	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए ने दिनांक 22.01.2015 के पत्र द्वारा टेनजेडको से अनुरोध किया है कि वह तमिलनाडु में द्वितीय यूएमपीपी की स्थापना के वैकल्पिक स्थल चिह्नित करे।
झारखण्ड			
7.	देवघर (झारखंड का दूसरा) यूएमपीपी	हुसैनाबाद, देवघर जिला	ऑपरेटिंग स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात देवघर मेगा पावर लि. तथा अवसरंचना एसपीवी अर्थात देवघर इंफ्रा लिमिटेड को क्रमशः दिनांक 26.04.2012 तथा दिनांक 30.06.2015 को निगमित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.02.2016 को कोयला मंत्रालय से, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) वाले उपयुक्त कोयला ब्लॉक चिह्नित करने का अनुरोध किया है।

गुजरात			
8.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	--	दिनांक 12.01.2016 को सीईए तथा पीएफसीसीएल की एक टीम ने यूएमपीपी की स्थापना की संभावनाओं की तलाश करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा चिह्नित गिर सोमनाथ जिले में स्थल का दौरा किया।
कर्नाटक			
9.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निडोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुका के निडोडी गाँव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई है और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।
महाराष्ट्र			
10.	महाराष्ट्र	--	स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
बिहार			
11.	बिहार	बांका जिले में ककवारा	अवसंरचना स्पैशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड तथा ऑपरेटिंग एसपीवी अर्थात बिहार मेगा पावर लिमिटेड क्रमशः दिनांक 30.06.2015 तथा दिनांक 09.07.2015 को निगमित किए गए। कोयला मंत्रालय ने पीरपैती/बराहट कोयला ब्लॉकों की अनंतिम सिफारिश कर दी है।
उत्तर प्रदेश			
12.	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	एटा	दिनांक 21.07.2015 को सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधान सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी के लिए एटा की पहचान की गई

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-866

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

अतिवृहद विद्युत परियोजनाओं का नवीनीकरण किया जाना

866. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अतिवृहद विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) के नवीनीकरण पर विचार कर रही है;
- (ख) क्या यह योजना दोषपूर्ण निविदा प्रारूपण के कारण खटाई में पड़ गई थी;
- (ग) क्या विशेषज्ञों का एक वरिष्ठ दल बोली दस्तावेजों के विभिन्न पक्षों की जांच कर रहा था और इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से विद्युत के प्रापण के लिए वर्ष 2006 में ईंधन तथा अन्य स्थान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केस-2 के अंतर्गत मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जारी किये गये थे। केस-2 के एसबीडी का प्रयोग अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए भी किया गया था तथा इन दस्तावेजों पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से 4 यूएमपीपी, नामतः मुद्रा, सासन, कृष्णापटनम तथा तिलैया अवार्ड की गई थीं। बाद में, इन एसबीडी की समीक्षा की गई तथा डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर मैं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं/यूएमपीपी के निर्माण तथा प्रचालन के लिए सितंबर, 2013 में मॉडल बोली दस्तावेज (एमबीडी) जारी किए गए।

एमबीडी के आधार पर, दो यूएमपीपी, नामतः ओडिशा और चैय्यूर के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। तथापि, निजी क्षेत्र के बोलीकर्ताओं ने, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) चरण पर, यह कारण बताते हुए कि डीबीएफओटी संरचना पर आधारित एमबीडी में उनकी चिंताओं का पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया है बोली प्रक्रिया से अपना नाम वापिस ले लिया।

(ग) और (घ) : पणधारकों द्वारा जतायी गई विभिन्न चिंताओं का समाधान करने तथा बोली में निवेशकों/विकासकर्ताओं की अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी)/केस-2 के लिए लागू मानक/मॉडल बोली दस्तावेज की आगे जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने विभिन्न पणधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श/चर्चा करने के बाद संशोधित एसबीडी और आबंटित घरेलू कोयला ब्लॉकों पर आधारित तथा आयातित कोयले पर आधारित यूएमपीपी के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं। आबंटित घरेलू कोयला ब्लॉक पर आधारित तथा साथ ही साथ आयातित कोयले पर आधारित यूएमपीपी के प्रारूप एसबीडी, पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए क्रमशः 17 अगस्त, 2015 तथा 29 दिसंबर, 2015 को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गये।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-867

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

राज्यों में विद्युत उत्पादन

867. डॉ. विजयलक्ष्मी साधु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन के स्रोतों का ब्यौरा क्या है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया;
- (ख) इस समय लम्बित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) मध्य प्रदेश में कौन-सी विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं, इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा तथा इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई निगरानी 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के परंपरागत स्रोतों से स्रोतवार राज्यवार और विद्युत उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : सीईए के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्माणाधीन ताप, गैस, न्यूक्लियर और जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-IIक, अनुबंध-IIख, अनुबंध-IIग और अनुबंध-IIघ में दिया गया है।

(ग) : मध्य प्रदेश राज्य में कुल 5545 मेगावाट क्षमता की छः (6) ताप विद्युत परियोजनाएं और 400 मेगावाट क्षमता की एक (1) जल विद्युत परियोजना (महेश्वर) निर्माणाधीन हैं। इन विद्युत परियोजनाओं के उनकी प्रत्याशित चालू होने की अनुसूची के साथ ब्यौरे अनुबंध-III में दिया गया है।

सीईए और विद्युत मंत्रालय इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लगातार स्थल दौरों और विकासकर्ताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से इन परियोजनाओं की निगरानी करते हैं।

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	श्रेणी	ईंधन	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन एमयू				
				2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
बीबीएमबी	हाइड्रो	हाइड्रो	2,884	11,829	10,600	12,125	10,945	12,459
बीबीएमबी कुल			2,884	11,829	10,600	12,125	10,945	12,459
दिल्ली	थर्मल	कोयला	840	2,288	3,705	4,526	5,348	5,594
		प्राकृतिक गैस	2,208	3,918	5,018	4,111	5,393	4,377
दिल्ली कुल			3,048	6,206	8,723	8,638	10,741	9,971
हरियाणा	थर्मल	कोयला	5,980	21,144	27,177	24,642	23,013	20,979
		प्राकृतिक गैस	432	1,101	1,571	1,732	2,403	3,068
हरियाणा कुल			6,412	22,244	28,749	26,374	25,416	24,046
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	6,597	27,081	23,319	21,681	20,331	19,161
हिमाचल प्रदेश कुल			6,597	27,081	23,319	21,681	20,331	19,161
जम्मू एवं कश्मीर	हाइड्रो	हाइड्रो	3,119	15,132	14,485	12,427	12,486	12,279
	थर्मल	हाई स्पीड डीजल	175	0	0	0	0	5
जम्मू एवं कश्मीर कुल			3,294	15,132	14,485	12,427	12,486	12,284
पंजाब	हाइड्रो	हाइड्रो	1,051	4,328	4,039	3,914	3,926	4,627
	थर्मल	कोयला	6,540	19,008	18,922	16,818	18,012	19,068
पंजाब कुल			7,591	23,337	22,961	20,731	21,938	23,695
राजस्थान	हाइड्रो	हाइड्रो	411	1,034	863	1,060	845	822
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1,180	8,401	7,722	9,233	8,847	8,974
	थर्मल	कोयला	6,260	32,888	32,760	25,778	23,234	23,256
		लिग्नाइट	1,580	8,779	9,090	6,010	5,602	2,790
		प्राकृतिक गैस	1,023	2,836	3,751	3,770	3,837	5,485
राजस्थान कुल			10,454	53,937	54,186	45,851	42,366	41,327
उत्तर प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	502	937	1,248	1,242	1,578	1,404
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	440	3,435	2,891	2,704	2,541	1,984
	थर्मल	कोयला	19,063	102,401	103,569	102,706	93,035	84,365
		प्राकृतिक गैस	1,493	4,512	4,194	5,192	7,192	9,255
उत्तर प्रदेश कुल			21,498	111,285	111,902	111,843	104,347	97,008
उत्तराखण्ड	हाइड्रो	हाइड्रो	3,756	12,769	11,439	11,025	12,439	13,543
उत्तराखण्ड कुल			3,756	12,769	11,439	11,025	12,439	13,543
छत्तीसगढ़	हाइड्रो	हाइड्रो	120	323	258	252	302	314
	थर्मल	कोयला	19,458	89,150	79,452	70,679	67,814	59,061

छत्तीसगढ़ कुल			19,578	89,473	79,711	70,930	68,116	59,375
गोवा	थर्मल	नाप्या	48	0	13	241	245	277
गोवा कुल			48	0	13	241	245	277
गुजरात	हाइड्रो	हाइड्रो	1,990	2,951	3,812	7,106	4,578	4,959
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	440	2,028	3,529	3,752	3,470	3,787
	थर्मल	कोयला	14,672	81,256	84,969	74,375	60,890	39,829
		लिग्नाइट	1,040	6,127	6,258	5,813	6,292	5,325
		प्राकृतिक गैस	7,695	12,551	6,971	6,152	15,760	24,524
गुजरात कुल			25,837	104,913	105,539	97,199	90,991	78,425
मध्य प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	2,395	4,870	6,300	9,216	7,228	7,736
	थर्मल	कोयला	17,185	90,885	68,913	50,431	43,468	41,696
मध्य प्रदेश कुल			19,580	95,755	75,212	59,647	50,696	49,432
महाराष्ट्र	हाइड्रो	हाइड्रो	2,887	4,694	5,288	6,255	5,557	6,238
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1,400	10,389	10,270	9,885	9,824	9,814
	थर्मल	कोयला	23,626	96,805	87,036	72,507	66,288	59,483
		प्राकृतिक गैस	3,072	5,300	4,716	6,053	10,465	17,856
महाराष्ट्र कुल			30,985	117,188	107,309	94,700	92,135	93,392
आंध्र प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	1,100	674	1,862	2,027	916	1,791
	थर्मल	कोयला	9,150	52,009	40,822	38,256	35,795	32,636
		डीजल	37	0	0	0	0	13
		प्राकृतिक गैस	4,880	5,477	2,561	5,244	10,300	18,101
आंध्र प्रदेश कुल			15,167	58,160	45,245	45,527	47,010	52,540
कर्नाटक	हाइड्रो	हाइड्रो	3,657	7,473	13,160	13,027	10,299	14,447
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	880	7,672	6,462	6,539	5,442	5,211
	थर्मल	कोयला	6,280	32,402	30,541	29,774	28,014	23,482
		डीजल	234	0	0	24	320	631
कर्नाटक कुल			11,052	47,547	50,163	49,365	44,075	43,770
केरल	हाइड्रो	हाइड्रो	1,882	6,365	6,853	7,708	4,650	7,808
	थर्मल	डीजल	235	146	208	221	533	291
		नाप्या	534	143	974	1,321	1,685	755
केरल कुल			2,650	6,653	8,034	9,250	6,868	8,854
पुडुचेरी	थर्मल	प्राकृतिक गैस	33	228	102	257	231	251
पुडुचेरी कुल			33	228	102	257	231	251
तमिलनाडु	हाइड्रो	हाइड्रो	2,182	4,468	5,059	4,995	2,868	5,199
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1,440	5,468	5,227	2,115	2,741	2,516
	थर्मल	कोयला	9,370	44,214	35,819	28,299	21,559	20,324
		डीजल	412	76	1,046	1,451	1,296	1,432
		लिग्नाइट	3,240	19,340	20,156	20,416	20,429	19,977
		नाप्या	120	9	3	1	0	30
		प्राकृतिक गैस	897	2,671	4,109	4,933	4,800	4,934
तमिलनाडु कुल			17,661	76,246	71,418	62,211	53,694	54,413
तेलंगाना	हाइड्रो	हाइड्रो	2,657	1,515	4,401	4,502	1,847	3,908
	थर्मल	कोयला	6,083	35,352	36,501	34,651	37,616	34,948

तेलंगाना कुल			8,739	36,867	40,902	39,153	39,463	38,856
अंडमान निकोबार	थर्मल	डीजल	40	172	154	171	136	95
अंडमान निकोबार कुल			40	172	154	171	136	95
बिहार	थर्मल	कोयला	4,535	20,816	18,272	14,939	14,707	13,812
बिहार कुल			4,535	20,816	18,272	14,939	14,707	13,812
डीवीसी	हाइड्रो	हाइड्रो	143	177	267	226	199	296
	थर्मल	कोयला	7,900	27,853	25,284	27,890	26,078	19,537
		नाप्या	90	0	0	0	0	0
डीवीसी कुल			8,133	28,029	25,551	28,115	26,277	19,833
झारखण्ड	हाइड्रो	हाइड्रो	130	51	34	110	142	270
	थर्मल	कोयला	3,140	15,894	14,588	14,236	11,378	6,387
झारखण्ड कुल			3,270	15,945	14,622	14,345	11,520	6,657
ओडिशा	हाइड्रो	हाइड्रो	2,142	4,891	6,919	7,547	4,939	5,473
	थर्मल	कोयला	8,880	52,314	44,413	38,665	37,290	35,299
ओडिशा कुल			11,022	57,205	51,332	46,212	42,229	40,771
सिक्किम	हाइड्रो	हाइड्रो	765	3,549	3,345	2,945	2,597	2,921
सिक्किम कुल			765	3,549	3,345	2,945	2,597	2,921
पश्चिम बंगाल	हाइड्रो	हाइड्रो	1,189	2,024	2,150	1,396	1,138	1,078
	थर्मल	कोयला	9,735	44,925	47,592	44,674	45,690	45,031
		हाई स्पीड डीजल	80	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल कुल			11,004	46,948	49,742	46,070	46,829	46,109
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	405	1,280	1,109	981	1,240	978
अरुणाचल प्रदेश कुल			405	1,280	1,109	981	1,240	978
असम	हाइड्रो	हाइड्रो	325	1,191	1,032	1,216	1,103	1,453
	थर्मल	कोयला	250	112				
		बहु ईंधन	60	0	0	0	0	0
		प्राकृतिक गैस	567	3,212	3,268	3,149	3,100	3,103
असम कुल			1,202	4,514	4,300	4,365	4,202	4,556
मणिपुर	हाइड्रो	हाइड्रो	105	537	372	640	580	524
	थर्मल	डीजल	36	0	0	0	0	0
मणिपुर कुल			141	537	372	640	580	524
मेघालय	हाइड्रो	हाइड्रो	332	1,036	863	982	775	595
मेघालय कुल			332	1,036	863	982	775	595
नागालैंड	हाइड्रो	हाइड्रो	75	164	165	246	213	229
नागालैंड कुल			75	164	165	246	213	229
त्रिपुरा	थर्मल	प्राकृतिक गैस	1,107	5,097	3,824	2,366	1,425	1,443
त्रिपुरा कुल			1,107	5,097	3,824	2,366	1,425	1,443
भूटान (आयात)	हाइड्रो	हाइड्रो		5,245	5,008	5,598	4,795	5,285
भूटान (आयात) कुल				5,245	5,008	5,598	4,795	5,285
सकल योग			258,896	1,107,386	1,048,673	967,150	912,057	876,887

* वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम

टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट और अधिक के पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर) स्टेशनों से उत्पादन।

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (25.04.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र				
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	यू-2	250
			यू-3	250
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी/अन्य (\$ संशोधित शेड्यूल दर्शाता है)	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
3	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी (कांटी) एकसपें./एनटीपीसी और बीएसईबी/भेल का जेवी	यू-4	195
4	बिहार	नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे/भेल का जेवी	यू-2	250
			यू-3	250
			यू-4	250
5	बिहार	न्यूनबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का जेवी टीजी-एलसथॉम एसजी-भेल	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
6	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी/एनटीपीसी एसजी-दूसन टीजी-बीजीआर हिताची	यू-1	800
			यू-2	800
7	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी/एनटीपीसी एसजी-दूसन टीजी-तोशीबा	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
8		कुडगी एसटीपीपी फेज-1/एनटीपीसी एसजी-दूसन टीजी-तोशीबा	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
9	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी फेज-1/एनटीपीसी/भेल	यू-4	660
10	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी/ एसजी-बीजीआर टीजी-एलसटॉम	यू-1	660
			यू-2	660
11	मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी/एनटीपीसी/बीटीजी-भेल	यू-1	800
			यू-2	800
12	मध्य प्रदेश	खारगोन टीपीपी/एनटीपीसी ईपीसी - एल एंड टी	यू-1	660
			यू-2	660
13	ओडिशा	दालीपल्ली एसटीपीपी/ एनटीपीसी एसजी- भेल टीजी-तोशीबा	यू-1	800
			यू-2	800
14	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-1/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
15	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी/भेल	यू-1	500
			यू-2	500
16	त्रिपुरा	अगरतला/नीपको/थर्मक्स	एसटी-1	25.5
17	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार-IV/एनटीपीसी/एनबीपीपीसी	यू-6	500
18	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल एसजी-बीजीआर टीजी-तोशीबा का जेवी	यू-1	660
			यू-2	660
19	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
20	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-1/डीवीसी/चाइनीज	यू-1	660
			यू-2	660
		कुल केंद्रीय क्षेत्र		24971
राज्य क्षेत्र				

1	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV/एपजैको/बीटीजी-भेल	यू-6	600
2	असम	नामरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल	जीटी	70
			एसटी	30
3	बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें./बीएसईबी/ईपीसी - भेल	यू-8	250
			यू-9	250
4	छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी/सीएसपीजीसीएल/भेल	यू-2	500
5	गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी/बीईसीएल बीटीजी-भेल	यू-1	250
			यू-2	250
6	गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें./जीएसईसीएल एसजी-एल्सटॉम टीजी-सीमन्स	यू-8	800
7	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी/केपीसीएल बीटीजी-भेल	यू-2	800
8	महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें./एमएसपीजीसीएल बीटीजी-एलएंडटी	यू-10	660
9	मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी-II/एमपी जैको ईपीसी-एलएंडटी	यू-3	660
			यू-4	660
10	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल बीटीजी-भेल	यू-3	660
			यू-4	660
11	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें./आरआरवीयूएनएल/एलएंडटी-एमएचआई	यू-5	660
			यू-6	660
12	राजस्थान	सूरतगढ़ टीपीएस/आरआरवीयूएनएल एसजी-एल्सटॉम टीजी-सीमन्स	यू-7	660
			यू-8	660
13	तेलंगाना	कोथागुडम टीपीएस स्टे.-VII/टीएसजैको बीटीजी-भेल	यू-1	800
14	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी /टीएसजैको	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
15	तेलंगाना	सिंगारैनी टीपीपी/एससीसीएल बीटीजी-भेल	यू-2	600
16	तमिलनाडु	एन्नौर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैको)/ टेनजेडको बीटीजी-लैको	यू-1	660
17	तमिलनाडु	एन्नौर एससीटीपीपी/ टेनजेडको	यू-1	660
			यू-2	660
18	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सपें.-II टीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
19	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी-II/डब्ल्यूबीपीडीसीएल/बीटीजी-भेल	यू-4	500
कुल राज्य क्षेत्र			15360	
निजी क्षेत्र				
1	आंध्र प्रदेश	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि. बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660
			यू-2	660
2	आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी/एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि. बीटीजी-भेल	यू-1	660
			यू-2	660
3	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसल्स टीजी-चाइनीज	यू-3	350
			यू-4	350
4	बिहार	जस इंफ्रा. टीपीएस/जेआईसीपीएल बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
5	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि./चाइनीज	यू-3	600
			यू-4	600
			यू-5	600
			यू-6	600
6	छत्तीसगढ़	बिजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. एसजी-सेथर वेसल्स टीजी-हरबिन चीन	यू-1	300
			यू-2	300
			यू-3	300
			यू-4	300
7	छत्तीसगढ़	लैको अमरकंटक टीपीपी-II/लैप प्रा. लि. बीटीजी-डीईसी	यू-3	660
			यू-4	660
8	छत्तीसगढ़	सिधितराई टीपीपी/एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. बीटीजी-डीईसीएल	यू-1	600

			यू-2	600
9	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी/टीआरएन एनर्जी प्रा. लि./चाइनीज	यू-1	300
			यू-2	300
10	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि. एसजी-चीन वेस्टर्न टीजी-हाबिन चीन	यू-3	360
			यू-4	360
11	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी/वंदना विद्युत बीटीजी-सेथर वेसल्स	यू-2	135
12	छत्तीसगढ़	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि. बीटीजी-भेल	यू-1	600
13	झारखंड	मैत्रिश्री उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-1	270
			यू-2	270
14	झारखंड	मैत्रिश्री उषा टीपीपी फेज-II/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-3	270
			यू-4	270
15	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि. बीटीजी-चीन	यू-1	600
			यू-2	600
16	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.	यू-3	600
17	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
18	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भ टीपीपी/एलबीपी प्रा. लि. ईपीसी-लेंको	यू-1	660
			यू-2	660
19	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
20	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
21	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि. बीटीजी-चाइनीज	यू-1	300
			यू-2	300
22	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि./चाइनीज	यू-2	600
23	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि. बीटीजी-भेल	यू-1	660
24	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी/बीएलए पावर लि. भेल - सीमन्स	यू-2	45
25	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)/इंड बराथ बीटीजी-सेथर वेसल्स	यू-2	350
26	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल बीटीजी-हाबिन चीन	यू-1	350
			यू-2	350
			यू-3	350
27	ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी/एलबीपी लि. बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660
			यू-2	660
28	ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी/एमपीसीएल बीटीजी-भेल	यू-1	525
			यू-2	525
29	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)/आईबीपीआईएल बीटीजी चाइनीज	यू-1	660
30	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV/एसईपीसी ईपीसी-एमईआईएल (बीटीजी-भेल)	यू-1	525
31	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी/पीपीजेंको एसजी-भेल एल्सटॉम टीजी-भेल - सीमन्स	यू-2	660
			यू-3	660
32	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी/हल्दिया एनर्जी लि. बीटीजी-भेल.	यू-1	150
			यू-2	150
			यू-3	150
कुल निजी क्षेत्र				30765
सकल योग				71095.5

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	पंडुरंगा सीसीपीपी	मॉड्यूल-1	116
आंध्र प्रदेश	आरवीके गैस इंजन	जीई: 5-8	38
	आरवीके गैस इंजन	जीई: 1-4	38
आंध्र प्रदेश	आरवीके सीसीपीपी	मॉड्यूल-1	120
	आरवीके सीसीपीपी	मॉड्यूल-2	120
	आरवीके सीसीपीपी	मॉड्यूल-3	120
आंध्र प्रदेश	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-1	400
	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-2	400
	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-3	400
	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-4	400
	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-5	400
	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-6	400
महाराष्ट्र	मंगाओं सीसीपीपी	ब्लॉक-I	388
तेलंगाना	आस्था गैस इंजन्स	4 इंजन्स	34.88
उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-I	ब्लॉक-I	225
उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-II	ब्लॉक-II	225
उत्तराखंड	बेटा सीसीपीपी	जीटी+एसटी	225
उत्तराखंड	गामा सीसीपीपी	जीटी+एसटी	225
		कुल (निजी क्षेत्र)	4274.88

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	विकासकर्ता	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
1	कुडनकुलम यू-2	तमिलनाडु	एनपीसी	सी	1000
2	पीएफबीआर (कलपक्कम)	तमिलनाडु	भाविनी	सी	500
3	आरएपीपी यू-7 व 8	राजस्थान	एनपीसी	सी	1400
4	केएपीपी यू-3, 4	गुजरात	एनपीसी	सी	1400
	कुल				4300

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश				
1	पोलावरम पीपीए	राज्य	12x80	960.00
2	नागार्जुन सागर टीआर (एपजेको)	राज्य	2x25	50.00
उप-जोड़: आंध्र प्रदेश				1010.00
अरुणाचल प्रदेश				
3	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00
4	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00
5	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00
6	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00
उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				2854.00
हिमाचल प्रदेश				
7	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00
9	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00
10	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00
11	शॉगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00
12	कशांग-I (एचपीपीसीएल)	राज्य	1x65	65.00
13	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x65	130.00
14	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00
15	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00
16	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00
17	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00
18	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	36.00
उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				2216.00
जम्मू व कश्मीर				
19	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00
20	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00
उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर				1180.00
केरल				
21	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00
22	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00
उप-जोड़: केरल				100.00
मध्य प्रदेश				
23	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00
उप-जोड़: मध्य प्रदेश				400.00

	महाराष्ट्र			
24	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00
	मेघालय			
25	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00
	उप-जोड़: मेघालय			40.00
	मिजोरम			
26	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00
	उप-जोड़: मिजोरम			60.00
	पंजाब			
27	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00
	उप-जोड़: पंजाब			206.00
	सिक्किम			
28	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00
29	दिक्चू (स्नेह काइनेटिक)	निजी	3x32	96.00
30	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00
31	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00
32	रौंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00
33	ताशिडिंग (शौघा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00
34	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा लि.)	राज्य	6x200	1200.00
35	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00
36	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00
	उप-जोड़: सिक्किम			2526.00
	तेलंगाना			
37	लोअर जुराला (टीएसजैको)	राज्य	6x40	80.00
38	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	4x30	120.00
	उप-जोड़: तेलंगाना			200.00
	उत्तराखंड			
39	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00
40	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00
41	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00
42	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00
43	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00
44	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00
45	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00
	उप-जोड़: उत्तराखंड			2430.00
	पश्चिम बंगाल			
46	तीस्ता लो डैम-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x40	80.00
47	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			200.00
	कुल:			13502.00

* कार्य पुनः शुरू होने के अधीन

सक्रिय कार्य शुरू होने के अधीन

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 867 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मध्य प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (25.04.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुमानित समय-सीमा
केंद्रीय क्षेत्र				
1	गदरवारा टीपीपी/एनटीपीसी /बीटीजी-भेल	यू-1	800	जनवरी-17
		यू-2	800	दिसंबर-17
2	खारगोन टीपीपी/ एनटीपीसी ईपीसी - एलएंडटी	यू-1	660	मार्च-19
		यू-2	660	सितंबर-19
कुल केंद्रीय क्षेत्र			2920	
राज्य क्षेत्र				
1	श्री सिंगाजी टीपीपी-II/एमपीजैको ईपीसी - एलएंडटी	यू-3	660	जुलाई-18
		यू-4	660	नवंबर-18
कुल राज्य क्षेत्र			1320	
निजी क्षेत्र				
1	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि./चाइनीज	यू-2	600	जुलाई-16
2	गोरगी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि. बीटीजी-भेल	यू-1	660	अनिश्चित
3	निवारी टीपीपी/बीएलए पावर लि. भेल - सीमन्स	यू-2	45	17-18*
कुल निजी क्षेत्र			1305	
सकल योग			5545	
निजी क्षेत्र				
1	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	10x40	400	2017-18*

* कार्य प्रगति पर नहीं। चालू होने की तिथि कार्य शुरू होने पर आकलित की जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-868

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान

868. श्री लाल सिंह वड़ोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार हर घर और कारोबार को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य में स्थित सभी घरों और कारोबार स्थापना को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में होता है। केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियां स्थापित करके केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।

(ख) और (ग) : सभी घरों एवं कारोबार स्थापनाओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं :

- (i) 12वीं योजना के दौरान 2016-17 के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट परम्परागत और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय) की क्षमता अभिवृद्धि। इसमें से, 31.03.2016

तक परम्परागत स्रोतों से लगभग 85,186 मेगावाट और 31.01.2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 14,612 मेगावाट हासिल की गई है।

- (ii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी में सभी के लिए 24x7 घंटे विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (iii) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढीकरण और पर्याप्त, सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन हानियों में कमी करने के लिए कृषि फीडर्स का पृथक्करण करने के लिए भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।
- (iv) केंद्रीय सरकार ने डिस्कामों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउंड के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक दो नई स्कीम अधिसूचित की हैं। इस स्कीम में परिकल्पित ऋणों के प्रापण की निम्न लागत विद्युत की लागत को नीचे लाने में भी सहायक होगी।
- (v) स्ट्रैंडिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता उपलब्ध कराना।
- (vi) ग्रिड के सुरक्षित प्रचालन के लिए पारेषण प्रणाली संवर्धन के लिए पीएसडीएफ से सहायता उपलब्ध कराना।
- (vii) केंद्रीय सरकार ने 28.01.2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-869

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

भारत में एल.ई.डी. बल्बों का विनिर्माण किया जाना

869. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 750 मिलियन टंगस्टन बल्बों को एल.ई.डी. बल्बों से प्रतिस्थापित करने की दिशा में सरकार ने कितनी प्रगति हासिल की है;

(ख) क्या स्थानीय कम्पनियों के पास समुचित दक्षता तथा साधन नहीं होने के कारण आर्डर्स चीन की कम्पनियों को जाएंगे;

(ग) क्या इससे 'मेक इन इंडिया' का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : माननीय प्रधानमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्य पर एलईडी बल्ब, जिसे पहले डीईएलपी कहा जाता था, उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 5 जनवरी, 2015 को 'सबके लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)' नामक राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसे विद्युत मंत्रालय के अधीन संयुक्त उद्यम कंपनी है। अब तक 13 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 10 करोड़ से भी अधिक एलईडी बल्ब सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) : 'मेक इन इंडिया' अभियान में सहयोग करने के लिए, ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्बों का प्रापण किए जाने की निविदा की निर्धारित पात्रता शर्तों में, बोलीकर्ता के पास भारत में उत्पादन सुविधा होना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ मिलकर सामान्य प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य के लिए एलईडी मानक तैयार किए हैं और एलईडी उपस्करों की व्यापक श्रृंखला को शामिल करते हुए 12 मानक प्रकाशित किए हैं। बीईई ने एलईडी बल्बों की स्टार रेटिंग भी शुरू की है तथा ईईएसएल को लेवल वाले एलईडी बल्बों का प्रापण करने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-870

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की दर

870. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भिन्न-भिन्न राज्य उसी तरह की बिजली यथा जल या तापीय विद्युत के लिए अलग-अलग दर प्रभारित करते हैं;
- (ख) क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे राज्य इसे अपेक्षाकृत कम दर पर उत्पादित करते हैं अथवा खरीदते हैं;
- (ग) दिल्ली किस प्रकार 50 प्रतिशत राजसहायता के साथ बिजली वितरित करने में सक्षम है जबकि अन्य राज्य सरकारें नहीं; और
- (घ) क्या सरकार इसका खर्च उठाती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। थर्मल और जल विद्युत स्टेशनों में उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है और यह ईंधन के प्रकार, ईंधन के स्रोत, संयंत्र का जीवनकाल, संयंत्रों के स्थान, यूनिट के आकार, संयंत्र की प्रौद्योगिकी और संयंत्र दक्षता जैसे प्राचलों पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्य, विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर निर्भर करते हुए विभिन्न दरों पर विद्युत अधिप्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुरूप प्रशुल्क के निर्धारण के लिए शक्ति, उपयुक्त विनियामक आयोगों के पास होती है। केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों के उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है जबकि राज्यों के भीतर उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली के मामले में, डीईआरसी वार्षिक राजस्व और मांग (एआरआर), जिसमें थर्मल, हाइड्रो, गैस आदि जैसे सभी स्रोतों से विद्युत क्रय लागत और डिस्कामों के अन्य व्यय शामिल हैं, की जांच के पश्चात उपभोक्ता खुदरा प्रशुल्क का निर्धारण करती है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य सरकारों को विद्युत प्रशुल्क पर दी गई सब्सिडी पर सभी व्यय वहन करना होता है। दिल्ली सरकार उन घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी खपत 400 यूनिट प्रति माह तक है, को सब्सिडी अपने वार्षिक बजट से उपलब्ध करवा रही है। वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्ध कराई गई सब्सिडी की मात्रा 1440 करोड़ रूपए थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-871

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी

871. श्री लाल सिंह वड़ोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार बिजली उत्पादन के लिए दुनिया की सर्वोत्तम तकनीक को भारत लाने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कोई कदम उठाये हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : सरकार ने भारत में विद्युत के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) ताप विद्युत उत्पादन

- 1) विद्युत मंत्रालय ने परामर्शिका जारी की है कि 13वीं योजना के अंतर्गत क्षमता अभिवृद्धि सुपरक्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से ही की जाएगी।
- 2) सरकार द्वारा भेल, एनटीपीसी तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) को शामिल करते हुए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास परियोजना अनुमोदित की गई है। स्कीम का उद्देश्य कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उच्चतर दक्षता हासिल करना, कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन घटाना तथा कोयले की खपत घटाना है। कार्यक्रम का अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में, अनुमोदन की तिथि से लगभग 2.5 वर्षों की अवधि के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप शामिल होंगे। द्वितीय चरण में, प्रथम चरण पूरा होने के पश्चात् लगभग 4.5 वर्षों में 800 मेगावाट के

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना शामिल होगी। एयूएससी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास चरण का अनुमानित व्यय लगभग 1554 करोड़ रुपये का है।

(ii) **जल विद्युत उत्पादन**

भारत के जल विद्युत क्षेत्र में पहले से ही नवीनतम अद्वितीय प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा है जोकि विश्व भर में मौजूद हैं। जल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त उपकरण/प्रणाली की प्रचालनात्मक क्षमताएं, दक्षता, नम्यता तथा विश्वसनीयता संबंधी पहलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जा रही सर्वोत्तम प्रैक्टिस के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा और अधिक सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं। जल विद्युत उत्पादन में हाल ही में अपनाई गई उन्नत प्रौद्योगिकी में ग्रीसलेस टर्बाइन संघटक, सुधरे हुए जेनरेटर संघटक, परिवर्तनीय गतिज प्रौद्योगिकियां एवं समायोजनीय गतिज पम्प टर्बाइन, सुधरी हुई नियंत्रण एवं उपकरणकरण प्रणाली, सुधरे हुए इंसुलेशन के परिणामस्वरूप कंपेक्ट जेनरेटर इत्यादि शामिल हैं।

(iii) **पवन ऊर्जा उत्पादन**

तकनीकी रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पवन टर्बाइन की संस्थापना सुनिश्चित करने के क्रम में देश में उन्हीं पवन टर्बाइन की संस्थापना की अनुमति दी जाती है जिनका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्य एजेंसी से टाइप प्रमाणीकरण किया गया हो सामान्यतः पवन टर्बाइन के टाइप प्रमाणन के लिए जिन मानकों का अनुपालन किया जाता है वे आईईसी अथवा जीएल हैं।

(iv) **सौर ऊर्जा उत्पादन**

सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से तैयार की जाती हैं जहाँ बाजार ताकतें सुनिश्चित करती हैं कि केवल सर्वोत्तम तथा लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियां ही टिकी रह सकें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अपनी अधिकतर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता की अनुमति दी है जिससे कि विश्व की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों को भारत में सौर विद्युत उत्पादन का अंग बनने के लिए प्रोत्साहन मिले।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-872

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में मांग-आपूर्ति में अंतर

872. श्री तिरुची शिवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के अंतर का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस अंतर को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में आगामी नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। अपने विभिन्न जिलों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का प्रबंध करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी का होता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों तथा पारेषण प्रणालियों की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को अनुबंध-1 पर दिया गया है।

तमिलनाडु द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में विद्युत ऊर्जा कमी, जो वर्ष 2013-14 के दौरान 5.9% थी, वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर 0.7% रह गई है तथा इसी प्रकार से व्यस्ततम विद्युत कमी जो वर्ष 2013-14 के दौरान 7.6% थी, वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर 0.3% रह गई है।

(ख) और (ग) : तमिलनाडु में मांग एवं आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(i) 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार विद्युत की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। अखिल भारतीय आधार पर इस क्षमता अभिवृद्धि से, 18वें ईपीएस के अनुसार, विद्युत की प्रक्षेपित मांग के 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रत्याशित मांग-आपूर्ति के परिदृश्य के आधार पर अपनी मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट की नियोजित क्षमता में से, 7,270 मेगावाट क्षमता तमिलनाडु के लिए लक्षित थी। इसमें से, दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में 7,210 मेगावाट की कुल क्षमता चालू हो चुकी है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में 3,250 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 1,860 मेगावाट, निजी क्षेत्र के 2,100 मेगावाट शामिल हैं।

(ii) विगत दो वर्षों में, दक्षिणी क्षेत्र को उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) 3,450 मेगावाट से बढ़ाकर 5,900 मेगावाट की जा चुकी है अर्थात् 71% तक की वृद्धि हुई है। 5,900 मेगावाट की संपूर्ण क्षमता तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र के संघटक राज्यों के एलटीए/एमटीओए के अंतर्गत आबंटित की जा चुकी है। 5,900 मेगावाट एटीसी में से, तमिलनाडु को कुल एलटीए/एमटीओए आबंटन लगभग 2,900-3,000 मेगावाट का है। तमिलनाडु के सभी एलटीए अनुप्रयोग प्रदान किए जा चुके हैं तथा प्रचालनात्मक हैं।

(iii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्न-अराउंड के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक नई स्कीम अधिसूचित की है। यदि तमिलनाडु उदय में शामिल होता है तो लगभग 22400 करोड़ रुपए का संभावित लाभ होगा।

(घ) : तमिलनाडु में आगामी विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-॥ पर हैं।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए तमिलनाडु में विद्युत की मांग आपूर्ति अंतर का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	कमी	
	एमयू	एमयू	एमयू	%	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	%
2013-14	93,508	87,980	5,528	5.9	13,522	12,492	1,030	7.6
2014-15	95,758	92,750	3,008	3.1	13,707	13,498	209	1.5
2015-16 (अनंतिम)	97,159	96,469	690	0.7	14,217	14,180	37	0.3

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु में आने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना	यूनिट सं.	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
1	आईटीपीसीएल टीपीपी	2	निजी	600
2	कुडनकुलम एनपीपी	2	केंद्रीय	1,000
3	पीएफबीआर कलपक्कम	1	केंद्रीय	500
4	नैवेली न्यू टीपीपी	1	केंद्रीय	500
5	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	1	राज्य	660
6	एन्नोर एससीटीपीपी	1	राज्य	660
7	तूतीकोरिन टीपीपी	1	निजी	660
8	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे-IV	1	निजी	525
	कुल			5,105

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-873

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

यू.डी.ए.वाई. (उदय) में शामिल होने वाले राज्य

873. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों बाद भी 18,000 गांवों में बिजली की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है अथवा 25 प्रतिशत लोग बिजली से वंचित हैं जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है;
- (ख) क्या कई राज्यों ने उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;
- (ग) क्या उदय का उद्देश्य रुग्ण राज्य बिजली बोर्डों को पुनरुज्जीवित करना तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रचालन दक्षता में सुधार लाना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों में से दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, 7,108 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

(ख) : 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् पुडुचेरी ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने के लिए अपना 'सिद्धांततः' अनुमोदन दे दिया है। अब तक, 10 राज्यों ने उदय के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता जापन (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने राज्य-स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय एवं प्रचालन टर्न-अराउण्ड के लिए उदय प्रारंभ किया है। स्कीम का लक्ष्य ब्याज भार में कमी, विद्युत लागत में कमी, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों में कमी तथा डिस्कॉम की प्रचालन दक्षता में सुधार करने का है। स्कीम में, राज्य को दो वर्षों के लिए एफआरबीएम सीमाओं से डिस्कॉम ऋणों को उठाने से छूट देकर घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति, कोयला लिंकेज योजितकरण अदक्ष से दक्ष संयंत्रों को कोल स्वैप की उदार अनुमति; राज्यों को अधिसूचित दरों पर कोल-लिंकेज का आबंटन करके तथा यदि वे स्कीम के प्रचालन माइलस्टोन पूरा करें तो उन्हें विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीमों में अतिरिक्त/अधिमानतः वित्त पोषण देकर प्रोत्साहित भी किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-874

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में विद्युत की कमी

874. श्री अविनाश पांडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र में पवन, सौर, जल, परमाणु, ताप तथा गैस सहित सभी प्रकार की बिजली की कुल सर्वाधिक मांग तथा आपूर्ति तथा इसकी कमी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और
- (ख) विद्युत की कमी से उबरने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान महाराष्ट्र ने 20,973 मेगावाट की व्यस्ततम मांग और सामना की गई ऊर्जा एवं व्यस्ततम कमी क्रमशः 0.3% एवं 1.8% रिकॉर्ड की गई है।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युत ऊर्जा घाटा 2013-14 के दौरान 2.1% थी जो वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर 0.3% हो गई और समनुरूप व्यस्ततम विद्युत घाटा 2013-14 के दौरान 8.6% थी जो 2015-16 के दौरान घटकर 1.8% हो गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान, महाराष्ट्र में पवन, सौर, जल विद्युत, न्यूक्लियर, ताप और गैस सहित सभी विभिन्न श्रेणियों से विद्युत की आपूर्ति (ऊर्जा) नीचे दी गई है:

(आंकड़े एमयू में)							
पवन	सौर	जल विद्युत	न्यूक्लियर	ताप	गैस	केंद्रीय क्षेत्र (ताप+गैस)	निवल ऊर्जा
5,129	410	5,135	4,548	86,637	4,218	35,284	1,41,361

(ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र और पारेषण प्रणाली स्थापित करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरक करती है।

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 874 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए महाराष्ट्र में विद्युत की मांग आपूर्ति अंतर का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	कमी	
	एमयू	एमयू	एमयू	%	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	%
2013-14	126,288	123,672	2,616	2.1	19,276	17,621	1,655	8.6
2014-15	134,897	133,078	1,819	1.3	20,147	19,804	343	1.7
2015-16 (अनंतिम)	141,917	141,361	456	0.3	20,973	20,594	379	1.8

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-875

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण हानियों के लिए मानक

875. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विकसित देशों द्वारा बिजली के पारेषण (टी) तथा वितरण (डी) के संबंध में कोई मानक तय किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो विकसित देशों की तुलना में देश में पारेषण तथा वितरण (टी एण्ड डी) हानियों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में पारेषण और वितरण हानियों के लिए जिम्मेदार घटकों का आकलन किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं तथा इनसे कितनी सफलता मिली है; और
- (ङ) क्या सरकार विशेष रूप से लीकेज तथा हानियों को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को आधुनिक बनाये जाने का विचार रखती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) हानियों के वैश्विक रूप से स्वीकृत कोई मानक नहीं हैं।

(ख) : विश्व के कुछ देशों की टीएंडडी हानियों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। राजस्व संग्रहण में हानि सहित टीएंडडी हानियां मिलकर सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां बनती हैं। विभिन्न डिस्कॉमों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की एटीएंडसी हानियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : एटीएंडसी हानियों के जिम्मेवार कारक हैं; मौजूदा लाइनों तथा उपकेंद्र उपकरणों का अतिभार; निम्न एचटी:एचटी लाइन अनुपात; उपकरणों की घटिया मरम्मत एवं अनुरक्षण; पर्याप्त कैपिस्टर/रिएक्टिव विद्युत उपकरणों की संस्थापना न होना; निम्न मीटरिंग/बिलिंग/संग्रहण दक्षता; विद्युत की चोरी और मीटर से छेड़छाड़ तथा ऊर्जा लेखा एवं लेखा परीक्षा न होना।

(घ) और (ङ) : वितरण नेटवर्क में एटीएंडसी हानियों में कमी करने का दायित्व राज्य विद्युत विभागों/यूटिलिटीयों का होता है। तथापि, एटीएंडसी हानियों की कमी को सुकर बनाने तथा विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी स्कीमें प्रारंभ की हैं।

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 875 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2011 और 2012 में भारत सहित विभिन्न देशों की टीएंडडी हानियों की प्रतिशतता

देश का नाम	वर्ष	
	2011	2012
कोरिया	3.57	3.47
जापान	4.98	4.79
जर्मनी	4.7	4.46
इटली	6.46	6.61
ऑस्ट्रेलिया	5.94	5.68
दक्षिण एवं अफ्रीका	9.61	10.19
फ्रांस	6.47	7.99
चीन	6.54	6.56
यूएसए	6.41	6.73
कनाडा	6.27	8.19
यूके	8.06	8.26
रूस	12.59	12.59
ब्राजील	16.08	16.63
भारत	23.97	23.65
संसार	8.9	8.89

(स्रोत: सीईए)

राज्य सभा में दिनांक 02.05.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 875 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2011-12	2012-13	2013-14	
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.24	59.40		
		एनबीपीडीसीएल		50.85	41.93	
		एसबीपीडीसीएल		45.77	48.70	
		बिहार कुल	59.24	54.64	46.33	
	झारखंड	जेएसईबी	42.76	47.49	42.17	
			42.76	47.49	42.17	
		झारखंड कुल				
	ओडिशा	सेसको	46.15	43.43	38.48	
		नेसको	39.54	39.61	36.47	
		सेसको	52.60	49.36	41.18	
		वेसको	43.46	41.87	41.24	
		ओडिशा कुल	44.66	42.88	39.19	
		सिक्किम	58.32	53.51	71.23	
		सिक्किम कुल	58.32	53.51	71.23	
		पश्चिम बंगाल	32.90	34.43	32.05	
		पश्चिम बंगाल कुल	32.90	34.43	32.05	
	पूर्वी कुल		41.80	42.04	38.02	
	पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	65.55	60.26	68.20
			अरुणाचल प्रदेश कुल	65.55	60.26	68.20
असम		एपीडीसीएल	29.47	31.85	30.25	
		असम कुल	29.47	31.85	30.25	
मणिपुर		मणिपुर पीडी	44.80	85.49	43.55	
		मणिपुर कुल	44.80	85.49	43.55	
मेघालय		एमईसीएल	45.33			
		एमपीडीसीएल		36.25	35.38	
		मेघालय कुल	45.33	36.25	35.38	
मिजोरम		मिजोरम पीडी	36.59	27.55	32.53	
		मिजोरम कुल	36.59	27.55	32.53	
नागालैंड		नागालैंड पीडी	22.85	75.30	38.37	
		नागालैंड कुल	22.85	75.30	38.37	
त्रिपुरा		टीएसईसीएल	33.76	24.86	27.81	
		त्रिपुरा कुल	33.76	24.86	27.81	
पूर्वोत्तर कुल			35.22	38.31	33.94	
उत्तरी		दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	16.65	15.16	16.19
	बीएसईएस यमुना		25.54	17.94	15.51	
	टीपीडीडीसीएल		15.67	13.12	9.75	
		दिल्ली कुल	18.56	15.22	14.09	
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	27.53	28.31	30.89	
		यूएचबीवीएनएल	29.06	36.97	38.61	
		हरियाणा कुल	28.27	32.55	34.33	
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	18.04	11.90	15.13	
		हिमाचल प्रदेश कुल	18.04	11.90	15.13	
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	71.16	60.87	49.14	
		जम्मू एवं कश्मीर कुल	71.16	60.87	49.14	
	पंजाब	पीएसपीसीएल	18.96	17.52	17.91	

	पंजाब कुल		18.96	17.52	17.91
	राजस्थान	एवीवीएनएल	28.12	19.90	22.04
		जेडीवीवीएनएल	23.83	18.97	25.69
		जेवीवीएनएल	23.18	20.91	31.08
	राजस्थान कुल		24.81	20.00	26.76
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	40.50	45.69	36.47
		केसको	30.48	37.61	34.29
		एमवीवीएन	44.42	45.83	14.32
		पाश वीवीएन	35.95	33.39	23.49
		पूर्व वीवीएन	52.37	52.37	20.09
	उत्तर प्रदेश कुल		41.95	42.85	24.65
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	25.84	23.18	19.01
	उत्तराखंड कुल		25.84	23.18	19.01
उत्तरी कुल			30.34	28.89	24.86
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	17.77	15.64	17.54
		एपीईपीडीसीएल	10.53	10.15	6.57
		एपीएनपीडीसीएल	17.26	13.09	20.80
		एपीएसपीडीसीएल	12.19	12.74	11.77
	आंध्र प्रदेश कुल		15.27	13.70	14.77
	कर्नाटक	बेसको	22.57	20.45	18.93
		चेसको	28.99	30.42	33.92
		गेसको	23.96	18.28	30.45
		हेसको	23.62	20.44	20.42
		मेसको	17.94	14.57	14.83
	कर्नाटक कुल		23.29	20.78	22.02
	केरल	केएसईवी	12.17	12.32	11.45
		केएसईवीएल			22.78
	केरल कुल		12.17	12.32	16.38
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	18.91	9.13	16.18
	पुडुचेरी कुल		18.91	9.13	16.18
	तमिलनाडु	टेनजेडको	21.70	20.71	22.35
	तमिलनाडु कुल		21.70	20.71	22.35
दक्षिणी कुल			18.89	17.40	19.08
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	29.05	25.12	23.17
	छत्तीसगढ़ कुल		29.05	25.12	23.17
	गोवा	गोवा पीडी	15.12	14.14	10.72
	गोवा कुल		15.12	14.14	10.72
	गुजरात	डीजीवीसीएल	13.14	10.40	10.83
		एमजीवीसीएल	14.40	14.94	14.77
		पीजीवीसीएल	28.03	30.41	24.12
		यूजीवीसीएल	14.01	14.37	9.10
	गुजरात कुल		19.26	19.87	15.93
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	45.85	29.97	29.60
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	34.43	28.16	21.15
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	34.94	36.40	34.83
	मध्य प्रदेश कुल		38.26	31.15	28.03
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.63	21.95	14.39
	महाराष्ट्र कुल		21.63	21.95	14.39
पश्चिमी कुल			24.81	23.36	18.37
सकल योग			26.63	25.45	22.70
स्रोत: पीएफसी					

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-876

जिसका उत्तर 02 मई, 2016 को दिया जाना है ।

स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

876. श्री मेघराज जैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए विगत तीन वर्षों का वर्ष-वार व्यय का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। भारत सरकार ने भारत में स्मार्ट ग्रिड कार्यकलापों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की आयोजना तथा प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) प्रारंभ किया है।

(ख) : वर्ष 2015-16 के दौरान चार स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाओं तथा एक स्मार्ट सिटी पायलट परियोजना के विकास पर 21.73 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) : एनएसजीएम भारतीय विद्युत अवसंरचना को लागत प्रभावी, प्रतिक्रियाशील, विश्वसनीय एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के क्रियान्वयन की परिकल्पना करता है। अमरावती तथा चंडीगढ़ की 118.63 करोड़ रुपये की लागत वाली दो ग्रिड परियोजनाएं एनएसजीएम के अंतर्गत अनुमोदित की जा चुकी हैं जिनमें भारत सरकार द्वारा एनएसजीएम के अंतर्गत 30% का वित्त पोषण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एनएसजीएम कार्यकलापों के लिए बजटीय सहायता 30 करोड़ रुपये है।
